

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)

फोन: नं. 01427-220054

क्रमांक: न.प.दौ/अग्निशमन शाखा/2024/1111

E-mail: dausa.jaipur@yahoo.com

दिनांक : 21.05.2024-

अस्थाई अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आश्रम दा इन्टरनेशनल स्कूल जसोता रोड बनेठा दौसा जिला दौसा का मौका निरीक्षण दिनांक 20.05.2024 को किया गया। जिसमें निर्धारित स्थानों पर फायर सिस्टम लगे हुये एवं सही व्यवस्था व कार्य व्यवस्था में पाये गये।


अतः निम्न शर्तों की पालना के निर्देश देते हुये अग्निशमन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थान के अन्दर नहीं की जावें।
2. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की जिला प्रशासन दौसा/नगर परिषद दौसा प्रशासन होगा।
3. हार्डवैरिज सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें एवं नेशनल बिल्डिंग कोड सभी फायर सिस्टम का संचारण करें।
4. प्रत्येक छः माह में एक्सपर्ट Mock ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद दौसा को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एवं Mock ड्रिल के नगर परिषद अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जावेगा।
5. समय-समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जावेगा।
6. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
7. किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
8. आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
9. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
10. समय-समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड में होने वाले संशोधनों की पालना करनी होगी।
11. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा। अन्यथा 10 हजार पैल्टी के तोर पर देय होंगे।
12. यह प्रमाण पत्र दिनांक 21.05.2024 से 20.05.2025 तक मान्य होगा।



Principal
Shree Ashram The International School
BANETHA, DAUSA

E/Comm/ltr/



सहायक अग्निशमन अधिकारी
सहायक नगर परिषद अधिकारी
नगर परिषद दौसा